न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला -- टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री भारत भूषण गोयल R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिसल संख्या 93/2019 निर्णय दिनांक :–24.12.2020

उनवानी वाद :–

खेमा पुत्र पन्ना जाति रेगर उम्र 60 वर्ष निवासी पनवाड तहसील देवली जिला टोंक राज0

–वादी–

बनाम

1. कजोड़ पुत्र धापू पुत्री पन्ना जाति रेगर निवासी गोपीपुरा तहसील देवली जिला टोंक राज0
2. सोजी पुत्र धापू पुत्री पन्ना जाति रेगर निवासी जय अम्बे इलेक्ट्रीकल चेतना फोटो स्टेट के पास कुचलवाडा रोड देवली जिला टोंक राज0
3. घीसालाल पुत्र केसर पुत्री पन्ना जाति रेगर निवासी कुचलवाडाकलां रेगर मोहल्ला तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा राज0
4. घीसी पुत्री लाडा पुत्री पन्ना जाति रेगर निवासी जूनिया तहसील केकड़ी जिला अजमेर राज0
5. श्रवण दत्तक पुत्र हेमा जाति रेगर निवासी पनवाड हाल निवासी प्रदीप नगर पो0 देवलीगांव तहसील देवली जिला टोंक राज0
6. तहसीलदार महोदय, देवली जिला टोंक राज0

– प्रतिवादीगण–

उपस्थिति :–

श्री आर. एन. तुनगारिया
श्री प्रदीप कुमार
अधिवक्ता प्रार्थीया

श्री अनिल चौहान
अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 ता 5
पेरोकार सरकार
प्रतिवादी संख्या 6

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136, एल.आर. एक्ट 1956

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। पत्रावली के तथ्य इस प्रकार है कि वादी के पिता एवं प्रतिवादी सं0 1 ता 4 के नाना व प्रतिवादी सं0 5 के दादा पन्ना पुत्र भैरू रेगर निवासी पनवाड तहसील देवली जिला टोंक की आराजी भूमि साबिक खसरा नम्बर 624 रकबा 1 बीघा 2 बीसवा, खसरा नम्बर 1453 रकबा 4 बीघा 15 बीसवा वाके ग्राम पनवाड तहसील देवली जिला टोंक मे स्थित है। उक्त भूमि सेटलमेंट से पूर्व वादी के पिता पन्ना की खातेदारी मे थी तथा वादी के

पिता पन्ना की मृत्यु के बाद उक्त भूमि वादी एवं वादी के भाई हेमा व बहन धापू, केसर, लाडा व माता सारू के नाम आ गयी जिसमे राजस्व कर्मचारियो की गलती से राजस्व रिकार्ड मे जमाबंदी सम्वत 2021 से 2024 मे वादी एवं वादी के भाई हेमा व बहनो के पिता का नाम एवं माता सारू के पति का नाम पन्ना की जगह धन्ना अंकित कर दिया है जो कि गलत है तथा बहन लाडा की जगह लाडू अंकित कर दिया गया तथा जमाबंदी सम्वत् 2036 से 2039 की जामाबंदी मे वादी की बहनो धापू, केसर, लाडा के पिता का नाम छगना अंकित कर दिया गया जो कि गलत है। उक्त वर्णित भूमि की सहखातेदार सारू की मृत्यु हो चुकी है जिसके कायम मुकामान वादी एवं वादी का भाई हेमा व बहन धापू, केसर, लाडा है तथा इनके आलावा अन्य कोई वारिसान नही है तथा सहखातेदार हेमा की मृत्यु हो चुकी है जिसका वारिस प्रतिवादी सं. 5 तथा बहनो मे भी धापू, केसर, लाडा की मृत्यु हो चुकी है तथा धापू के वारिस प्रतिवादी सं0 1 व 2 तथा केसर के वारिस प्रतिवादी सं0 3 एवं लाडा के वारिस प्रतिवादी स0 4 है इनके अलावा अन्य कोई वारिस नही है। वर्तमान मे फोती का नामांतकरण नही खुला है। सेटलमेंट के बाद उक्त साबिक खसरा नम्बरान 624 रकबा 1 बीघा 2 बीसवा, खसरा नम्बर 854 रकबा 14 बीसवा, खसरा नम्बर 1453 रकबा 4 बीघा 15 बीसवा के नये खसरा नम्बर 1323 रकबा 0.82 है0, खसरा नम्बर 1324 रकबा 0.19 है0, खसरा नम्बर 1967 रकबा 0.13 है0, खसरा नम्बर 1971 रकबा 0.05 है0, खसरा नम्बर 2561 रकबा 0.40 है0 बनाये गये है। राजस्व रिकार्ड मे वादी के पिता एवं प्रतिवादीगण 1 ता 4 के नाना एवं प्रतिवादी सं. 5 के दादा का नाम गलत अंकन होने से उक्त आराजीयात का फोती का नामांतकरण वादी एवं प्रतिवादीगण 1 ता 5 के नाम नही खुल पा रहा है जिससे वादी एवं प्रतिवादीगण राज्य/केन्द्र सरकार से प्राप्त योजनाओ का लाभ प्राप्त नही कर पा रहे है तथा ऋण नही ले पा रहे है

तथा काफी परेशानी का सामना करना पड रहा है। राजस्व रिकार्ड मे दर्ज नाम धन्ना व छगना से वादी एवं प्रतिवादीगण 1 ता 5 से किसी प्रकार का कोई संबंध नही है। उक्त आराजीयात वादी के पिता व प्रतिवादी 1 ता 4 के नाना व प्रतिवादी सं. 5 के दादा पन्ना की थी जो उनकी मृत्यु के बाद उनके वारिसान के नाम जरिये नामांतकरण दिनांक 15.06.1968 से आ गई परन्तु राजस्व कर्मचारियो की गलती से पन्ना की जगह धन्ना व छगना अंकित हो गया जबकि वादी एवं अन्य वारिसान के सभी सरकारी दस्तावेज मे वादी के पिता व प्रतिवादीगण 1 ता 4 की माता धापू, केसर, लाडा के पिता का नाम पन्ना अंकित है। उक्त वर्णित आराजीयात पर वादी एवं प्रतिवादीगण 1 ता 5 का कब्जा चला आ रहा है तथा वर्तमान मे भी काश्त कर रहे है। वादी एवं प्रतिवादीगण 1 ता 5 उक्त आराजीयात बाबत राजस्व रिकार्ड मे दुरूस्ती की जाकर जमाबंदी मे वादी के पिता व प्रतिवादीगण के नाना व प्रतिवादी सं. 5 के दादा का नाम धन्ना व छगना के बजाय पन्ना अंकित किया जावे तथा लाडू के बजाय लाडा दर्ज किया जावे तथा वादी एवं प्रतिवादीगण 1 ता 5 के नाम नामांतकरण खोला जावे।

अप्रार्थीगण की तलबी जारी की गई। अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री अनिल चौहान ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थीगण को पर्याप्त अवसर व समय देने के उपरान्त भी जवाब पेश नहीं किया गया। अतः अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 5 का जवाब बन्द किया गया।

अप्रार्थी संख्या 6 तहसीलदार द्वारा पेरोकार सरकार के माध्यम से जवाब पेश किया गया जो इस प्रकार हैः— चरण प्रथम स्वीकार है। चरण नं. 2 पारिवारिक सजरा सक्षम न्यायालय से घोषित होकर संलग्न करे । बिन्दू स्वीकार नहीं है। बिन्दू 3 नामान्तकरण 211 जमाबन्दी सम्वत 2017—21 में पन्ना पुत्र भैंरू के स्थान पर जमाबन्दी सम्वत 2021—24 में हेमा खेमा पि0 धन्ना

केसर लाडा धापू पुत्रियां धन्ना सारू बेवा धन्ना के नाम दर्ज है परन्तु जमाबन्दी सम्वत 2036–39 व मिसल बन्दोबस्त में हेमा खेमा पुत्र धन्ना सारू बैवा धन्ना धापू केसर लाडू पुत्र छगना दर्ज है। जमाबन्दी सम्वब 2025–28 व 2029–32 संलग्न करे। चरण चार स्वीकार नहीं है। वारिस प्रमाण पत्र साक्ष्य से प्राप्त कर पेश करे। चरण पांच स्वीकार नहीं है। चरण 6 लगायत 8 न्यायालय से सम्बन्धित है।

पत्रावली साक्ष्यवादी में नियत की गई।

प्रार्थी ने बयान गवाह खेमा पुत्र पन्ना कोम रेगर निवासी पनवाड़ व धनसिंह पुत्र भंवर सिंह कोम राजपूत निवासी पनवाड़ के करवाये। प्रार्थी ने प्रदर्श करवाये जो इस प्रकार हैः– प्रदर्श–1 रजिस्टर चक बन्दी मौजा पनवाड़ खाता संख्या 400 व 399, प्रदर्श–3 जमाबन्दी सम्वत 2021–24, प्रदर्श–4 जमाबन्दी सम्वत 2036–39 प्रदर्श–5 मिलान क्षैत्रफल सम्वत 2046–65 प्रदर्श–6 नामान्तकरण संख्या 211 प्रदर्श–7 भू–प्रबन्ध खतौनी सम्वत 2046–65, प्रदर्श–8 जमाबन्दी सम्वत 2071–74, प्रदर्श–9 ग्राम पंचायत सजरा एवं छायाप्रतियां लाडा का मृत्यु प्रमाण पत्र , धापू का मृत्यु प्रमाण पत्र पेश किया है।

अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा जिरह नहीं करने से प्रार्थीगण से जिरह बन्द की गई।

पत्रावली प्रतिवादी/अप्रार्थी साक्ष्य में नियत की गई।

अप्रार्थीगण द्वारा कथन किया गया कि अप्रार्थीगण सम्पर्क में नही हैं। अतः साक्ष्य नहीं करवाना चाहते है। अतः प्रतिवादी साक्ष्य बन्द की गई।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता प्रार्थीया ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थना पत्र तैयार कराते समय लिपिकीय त्रुटिवश नामान्तकरण संख्या 994 के स्थान पर 114 हो गया । न्यायालय से प्रार्थना है कि नामान्तकरण संख्या 114 के स्थान पर 994 ही पढा व समझा जावे। प्रार्थीया का नाम दुरूस्त राजस्व रिकॉर्ड करने की आज्ञा तहसीलदार देवली को देवे ताकि प्रार्थीया सरकार की योजनाओं का लाभ ले सके।

पेरोकार सरकार ने अपने जवाब को ही बहस मानने की प्रार्थना की।

पत्रावली का अवलोकन किया। अधिवक्ता वादी व पेरोकार सरकार की बहस व पर मनन किया। वादी के अनुसार जमाबन्दी सम्वत 2021–24 में वादी व वादी की बहनो के पिता का नाम पन्ना की जगह धन्ना व बहन लाडा की जगह लाडू व रोटेशन जमाबन्दी 2036–39 में वादी की बहनों के पिता का नाम छगना दर्ज रिकॉर्ड कर दिया, जिसको वादी शुद्ध करवाना चाहता है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज प्रदर्श–1 व 2 में पन्ना वल्द भैंरू अंकित है। प्रदर्श–3 जमाबन्दी सम्वत 2021–24 में हेमा, खेमा पि. धन्ना धापू, केसर, लाडा पुत्री सारू बेवा धन्ना दर्ज रिकॉर्ड है। प्रदर्श–4 जमाबन्दी सम्वत 2036–39 में हेमा, खेमा पुत्र धन्ना, धापू, केसर, लाडू पुत्रीयां छगना , सारू बेवा धन्ना रेगर अंकित है। इनके बाद क्रमागत जमाबन्दीयों में धन्ना व लाडू पुत्री छगना दर्ज रिकॉर्ड होता रहा है। उक्त अशुद्व नामो को वादी शुद्ध करवाना चाहता है। प्रदर्शित दस्तावेजो से स्पष्ट है कि प्रदर्श–1 रजिस्टर चकबन्दी मौजा निजामत मालपुरा राज सवाई जयपुर व प्रदर्श–2 जमाबन्दी सम्वत 2017–20 में वादी के पिता का नाम पन्ना दर्ज रिकॉर्ड है जो प्रदर्श–3 जमाबन्दी सम्वत 2021–24 में धन्ना कर दिया और प्रदर्श –4 जमाबन्दी में धन्ना के साथ वादी की बहन लाडा का नाम लाडू व बहनो के पिता का नाम छगना कर दिया जबकि नामान्तकरण पंजिका प्रदर्श–6 में नामान्तकरण सही खोला गया है। प्रदर्श–5 मिलान क्षैत्रफल

2046–65 के अनुसार साबिक ख. नं. 1453 से ख. नं. 1323 रकबा 0.82 है0 व 1324 रकबा 0.19 है0, साबिक ख. नं. 854 से ख. नं. 1967 रकबा 0.13 है0 व 1961 रकबा 0.05 है0 व साबिक ख. नं. 642 से ख. नं. 2561 रकबा 0.40 है0 बने है जो सही है। उक्त दस्तावेजो के विश्लेषण से स्पष्ट है कि राजस्व कार्मिकों से सहवन से त्रुटियां हुई है। इन त्रुटियों को शुद्ध किया जाना आवश्यक है। अतः वाद स्वीकार किया जाकर जमाबन्दी सम्वत 2071–74 के खाता संख्या 803 के कुल किता 5 कुल रकबा 1.59 है0 में धन्ना व छगना का नाम विलोपित कर पन्ना, लाडू के बजाय लाडा उद्घोषित किया जाता है तथा छगना का नाम विलोपित किया जाता है। वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 के नाम नामान्तकरण खोलने की प्रकिया नियमानुसार की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ 20 रूल्स 6व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी.....मुकाम देवली व अलजाम श्री भारत भूषण गोयल आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी देवली टो.....

उनवानी वाद :–

खेमा पुत्र पन्ना जाति रेगर उम्र 60 वर्ष निवासी पनवाड तहसील देवली जिला टोंक राज0 –वादी–

बनाम

1. कजोड़ पुत्र धापू पुत्री पन्ना जाति रेगर निवासी गोपीपुरा तहसील देवली जिला टोंक राज0
2. सोजी पुत्र धापू पुत्री पन्ना जाति रेगर निवासी जय अम्बे इलेक्ट्रीकल चेतना फोटो स्टेट के पास कुचलवाडा रोड देवली जिला टोंक राज0
3. घीसालाल पुत्र केसर पुत्री पन्ना जाति रेगर निवासी कुचलवाडाकलां रेगर मोहल्ला तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा राज0
4. घीसी पुत्री लाडा पुत्री पन्ना जाति रेगर निवासी जूनिया तहसील केकड़ी जिला अजमेर राज0
5. श्रवण दत्तक पुत्र हेमा जाति रेगर निवासी पनवाड हाल निवासी प्रदीप नगर पो0 देवलीगांव तहसील देवली जिला टोंक राज0
6. तहसीलदार महोदय, देवली जिला टोंक राज0

– प्रतिवादीगण–

दावा दुरूस्ती इन्द्राज एवं घोषणा खातेदारी

मुकदमा नं. 93 सन् 2019

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू..मुझ श्री भारत भूषण गोयल आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी देवली बहाजरी श्री आर.एन. तुनगारिया व प्रदीप कुमार अधिवक्ता वादी मिनजामिन मुद्दई रूबरू श्री अनिल चौहान प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 व पेरोकार सरकार देवली मिनजामिन मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है डिक्री दी जाती है कि

आदेश

जमाबन्दी सम्वत 2071–74 के खाता संख्या 803 के कुल किता 5 कुल रकबा 1.59 है0 में धन्ना व छगना का नाम विलोपित कर पन्ना, लाडू के बजाय लाडा उद्घोषित किया जाता है तथा छगना का नाम विलोपित किया जाता है। वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 के नाम नामान्तकरण खोलने की प्रकिया नियमानुसार की जावे।

निजी.....मुवलिक.....बाबत् .....

.खर्चा इस मुकदमें का मय सूद वगैरह ..... फीसदी सालना आज की तारीख वसूलियाकि तक . ..... की अदा करें।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 30 माह 09 सन् 2020 को जारी किया गया।

दस्तख्त .....

मुहर

ओहदा .....

मुद्दई	रू.	पै.	मुद्दायलह	रू.	पै.
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प अदालत नामा स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प अदालत मेहनतान वकील		

मेहनतान वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत् इजरायहुक्मनामा अन्य मिजान			खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत् इजरायहुक्मनामा अन्य मिजान		

नोट :– इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दी फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिलाया हो या नही दर्ज करना चाहिए